प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 21.06.2025**

- **जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही।**
- **थाना रनियाँ पुलिस द्वारा गस्त के दौरान दिनांक 14.06.2025 को अभियुक्त द्वारा महिला के साथ झपटमारी की कोशिश करते वक्त महिला का मोटरसाइकिल से गिरकर घायल होने तथा इलाज के दौरान महिला की मृत्यु हो जाने की घटना कारित करने वाले 01 नफर शातिर अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 03 अदद खोखा कारतूस व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, एक अदद मो0सा0 एचएफ डीलक्स बिना नम्बर रंग काला एवं जामा तलाशी से प्राप्त 350 रुपए बरामद हुए।**
- **अभियुक्त पर 01 दर्जन से अधिक अभियोग हैं पंजीकृत।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री हरीश चन्दर के कुशल मार्गदर्शन में व पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री अरविन्द मिश्र के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 15.06.2025 को वादी श्री रवीन्द्र कुमार पुत्र श्री बालकृष्ण निवासी ग्राम सरगाँव बुजुर्ग थाना रूरा जनपद कानपुर देहात द्वारा तहरीर दी गयी कि दिनांक 14.06.2025 को समय करीब 09.45 बजे वादी के पुत्र हिमांशु अपनी पत्नी श्रीमती रक्षा उर्फ कोमल मिश्रा के साथ मोटरसाइकिल से कानपुर से रूरा जा रहे थे कि तभी मयूर फैक्ट्री के आगे काली मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति द्वारा श्रीमती रक्षा उर्फ कोमल मिश्रा के कान में पहने बाला को झपट्टा मारते हुये छीनने का प्रयास किया गया जिससे श्रीमती रक्षा उर्फ कोमल मिश्रा मोटरसाइकिल से गिर कर घायल हो गयीं थी, के सम्बन्ध में थाना रनियां पर मु0अ0सं0 109/2025 धारा 304/62/110 बीएनएस बनाम अज्ञात मोटरसाइकिल सवार पंजीकृत किया गया था। घायल महिला श्रीमती रक्षा उर्फ कोमल मिश्रा की इलाज के दौरान दिनांक 19.06.2025 को दुःखद मृत्यु हो गयी। जिसके आधार पर विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में धारा 105 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

दिनांक 20.06.2025 को थाना रनियाँ पुलिस को गस्त दौरान को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि इस घटना में शामिल (विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के आधार पर प्रकाश में आये) अभियुक्त धरमंगदपुर से आंट होता हुआ बाइक से विसायकपुर तिराहे की तरफ आ रहा है, उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए पंचगवा नहर पुल से पहले अभियुक्त की घेराबन्दी की गयी जब अभियुक्त ने अपने को पुलिस के घेरा में देखा तो उसने भागने का प्रयास किया तथा अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया, पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुए फायर किया, जिसमें अभियुक्त छोटुआ उर्फ सफी पुत्र बदन सिंह निवासी मंगलपुर डेरा थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात के दाहिने पैर में घुटने के नीचे पिंडली में गोली लगने से, वह घायल हो गया। तत्पश्चात् पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त छोटुआ उर्फ सफी उपरोक्त को दिनांक 20.06.2025 समय 22.55 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 03 अदद खोखा कारतूस व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 01 अदद मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स बिना नम्बर व जामा तलाशी से 350 रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल हुए अभियुक्त उपरोक्त को उपचार हेतु तत्काल सीएचसी अकबरपुर भेजा गया।

पुलिस मुठभेड के दौरान अभियुक्त की गिरफ्तारी के आधार पर थाना रनियाँ पर मु0अ0सं0 115/2025 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता -

छोटुआ उर्फ सफी पुत्र बदन सिंह निवासी ग्राम मंगलपुर डेरा थाना मंगलपुर कानपुर देहात उम्र 34 वर्ष।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ करने पर अभियुक्त छोटुआ उर्फ सफी द्वारा बताया गया कि मेरे ऊपर लूट, चोरी व झपटमारी के काफी मुकदमें दर्ज हैं एवं दिनांक 14.06.2025 को मैं कानपुर से अकबरपुर की तरफ शिकार की तलाश में मोटरसाइकिल से निकला था कि तभी कोहली होटल रनियाँ के आस पास एक महिला पुरुष को मोटर साइकिल से जाते देखा और महिला चैन व बाला पहने थी रनियाँ निकल कर खानचन्द्रपुर के सामने हाईवे पर मैंने उस महिला के बाला तोडने के लिए झपट्टा मारा तो सफल नहीं हो पाया वह महिला मोटर साइकिल से गिर गयी थी और मैं अपनी मोटर साइकिल से भाग गया था।

बरामदगी का विवरण –

1.एक अदद मोटर साइकिल रंग काला सफेद लाल स्टीकर लगे हुए हीरो एचएफ डीलक्स बिना नम्बर
2.एक अदद तमन्चा देशी बोर 315 बोर जिसकी नाल मे खोखा कारतूस है 315
3. बोर 315 खोखा कारतूस एवं एक जिन्दा कारतूस 02
4.जामा तलाशी से रुपये मिले। 350

अभियुक्त छोटुआ उर्फ सफी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 259/2024 धारा 303/(2)/317(2)/318(4)/319(2) बीएनएस थाना गदागंज जनपद रायबरेली।
2- मु0अ0सं0 139/2024 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बेला जनपद औरैया।
3- मु0अ0सं0 63/23 धारा 392/411 आईपीसी थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
4- मु0अ0सं0 160/19 धारा 308/323/325/504 आईपीसी थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।
5- मु0अ0सं0 64/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
6- मु0अ0सं0 172/19 धारा 34/392/411 आईपीसी थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात।
7- मु0अ0सं0 282/19 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।
8- मु0अ0सं0 429/19 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।
9- मु0अ0सं0 486/17 धारा 379/411 आईपीसी थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात।
10- मु0अ0सं0 487/18 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात।
11- मु0अ0सं0 171/19 धारा 3/5 गुण्डा अधि0 थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।
12-मु0अ0सं0 109/25 धारा 304/62/105बीएनएस थाना रनियाँ जनपद कानपुर देहात।
13-मु0अ0सं0 115/2025 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधि0 थाना रनियाँ जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना रनियां पुलिस टीम -

1.प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार गुप्ता
2.उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार पाल
3.हे0का0 संजय सिंह
4.हे0का0 वीरेन्द्र कुमार
5.का0 नरेन्द्र राणा
6.का0 संदीप कुमार
7.का0 इन्द्रदेव सिंह